कार्यालय सिविल सर्जन सह् मुख्य अस्पताल अधीक्षक
इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय कोरबा (छ0ग0)

निविदा प्रपत्र
क्रमांक – 1502
वर्ष 2015 –2016

(जिला चिकित्सालय कोरबा में भोजन प्रदाय करने हेतु)

जारी दिनांक :– 01.06.2015
जमा दिनांक :– 22.06.2015

निविदा फार्म पर नियम एवं षर्ते दर्षाए गये है।

निविदा प्रपत्र : मुल्य 200/–रु0

प्रति,

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला चिकित्सालय कोरबा छ.ग.

विषय :– जिला चिकित्सालय कोरबा में भोजन प्रदाय हेतु निविदा।

संदर्भ :– आपके निविदा सूचना क्रमांक .... दिनांक ....

उपरोक्त निविदा सूचना के अनुसार हमारी निजी प्रतिष्ठान द्वारा भोजन व्यवस्था के लिये दर निर्धारित प्रपत्र में अंकित कर आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

निविदा पत्र में दर्षित सभी षर्ते .... से .... तक हमें मान्य होगा तथा निविदा से संबंधित अभिलेखों की फोटो प्रतियां एवं सुरक्षा निधि की मूल प्रति संलग्न है।

संलग्न :–

हस्ताक्षर

निविदाकार

कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला चिकित्सालय कोरबा (छ0ग0)
भोजन व्यवस्था की निविदा हेतु आवष्यक षर्ते

01 इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय में भर्ती अंतः मरीजो व प्रसव प्रसूता जे.एस.एस.के अंतर्गत मरीजो को बिस्तर तक निर्धारित मीनू के अनुसार प्रतिदिवस सुबह नास्ता तथा दोपहर एवं सायं भोजन पकाकर षासन द्वारा निर्धारित दर पर वितरित करना होगा।

02. चिकित्सालय के रसोई घर में स्वयं के साधन से भोजन पकाकर अपने ही कर्मचारी द्वारा अपनी ही सामाग्री से भोजन तैयार कर निर्धारित समय पर वितरित करना होगा।

03. अंतः मरीज को भोजन चिकित्सक के निर्देशानुसार वार्ड सिस्टर द्वारा दिये गये इन्डेन्ट पर संलग्न **आहार सारणी** (पृष्ट क्र. 01 से 06) के अनुसार निर्धारित दिवस पर निर्धारित भोजन समय अनुसार दिया जाना है जिसके लिये षासन द्वारा रु 60.00 प्रति दिवस प्रति मरीज आबंटित है। जे.एस.एस.के अंतर्गत प्रसव प्रसूता मरीजो को संलग्न **प्रसव प्रसुता को देय भोजन की आहार तालिका** (पृष्ट क्र. 07) के अनुसार निर्धारित दिवस पर निर्धारित भोजन समय अनुसार दिया जाना है। जिसके लिये षासन द्वारा रु. 100.00 प्रति दिवस प्रति मरीज आबंटित है। उपरोक्त राषि सभी कर सहित।

04. भोजन की गुणवत्ता में कमी व आहार सारणी के अनुसार भोजन नही दिये जाने पर निविदा निरस्त कर दिया जावेगा तथा अमानत राशि जब्त कर लिया जावेगा।

05. भोजन में दिये जाने वाले सामाग्रीयो की गुणवत्ता/निर्माता कम्पनी का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। उदाहरण स्वरूप बिस्किट – पारले जी, पोहा–बारीक तथा यथासंभव सामाग्रीयों का नमुना निविदा के साथ प्रस्तुत करे।

06. अनुभवी ठेकेदार जिसके पास दैनिक 100 – 200 लोगों को षासकीय चिकित्सालय / बड़े प्रतिष्ठानों में भोजन पकाकर प्रदाय कराने का अनुभव है, ऐसे ठेकेदार को प्राथमिकता दी जायेगी। जिसका अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

07 निविदा दाता वाणिज्यकर विभाग से पंजीकृत के साथ जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र तथा पेन नंबर व सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेषन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

08. संबंधित फर्म/संस्था का वैध भोजन संबंधित फुड लायसेंस होना अनिवार्य है, जिसकी छायाप्रति संलग्न किया जावे ।

09. निविदा में भाग लेने वाले स्व–सहायता समुह तथा अलाभकारी संस्था को प्राथमिकता दिया जावेगा, जिसके लिये प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

10. प्रत्येक निविदादाता को अमानत राषि रु. 50000.00 (पचास हजार रूपये मात्र) का केवल डिमांड ड्राफ्ट/बैकर्स चेक भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंको की किसी भी षाखा से सिविल सर्जन सह् मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला कोरबा के नाम से बनाकर जमा करना होगा। डिमांड ड्राफ्ट/बैकर्स चेक के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का अमानत राषि स्वीकार नही किया जावेगा। जिसे असफल निविदादाता को वापस कर दिया जावेगा एवं सफल निविदादाता की अमानत राषि निविदा की वैध तिथि तक जमा रखा जावेगा, जिस पर किसी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।

11. निविदा दो लिफाफा में प्रस्तुत किया जावेगा, एक लिफाफा में सुरक्षा निधि एवं संबंधित समस्त प्रमाण पत्र व दूसरे लिफाफे में निविदा पत्र, तदानुसार लिफाफे के उपर लिखा जावेगा व दोनो लिफाफा एक लिफाफे में डालकर **भोजन हेतु निविदा** लिखकर भेजा जावेगा। प्रथम लिफाफा को पहले खोला जावेगा तथा उसमें रखे सुरक्षा निधि व अभिलेखों की जांच उपरांत सही पाये जाने के पश्चात् ही क्रय समिति के संतुष्ट होने के बाद दूसरा लिफाफा अर्थात् निविदा पत्र वाले को खोला जावेगा, अन्यथा निरस्त कर दिया जावेगा।

12. निविदा रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट अथवा कोरियर के द्वारा ही स्वीकार किया जावेगा।

13. कूकींग गैस सिलेन्डर का व्यय निविदा दाता को वहन करना होगा। इलेक्ट्रीक हीटर का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।

14. किचन की सफाई एवं सुरक्षा के लिए निविदाकार स्वयं जिम्मेदार होगा।
15. भोजन पकाने व परोसने वाले कर्मचारियों की संख्या उल्लेख करना अनिवार्य होगा तथा कर्मचारीयों की वर्दी, स्वच्छता एवं अन्य विवाद की स्थिति में निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा एवं उनके कर्मचारियों के प्रति चिकित्सालय का कोई उत्तरदायित्व नही होगा।
16. केंटिन में कार्यरत कर्मचारियों का चिकित्सकीय स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
17. चिकित्सालय के मरीजों को प्रदाय की जाने वाली खाद्य सामाग्री निर्धारित मापदंड के अनुसार पालन करना होगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा षिकायत या अन्य कोई गंभीर कारण होने पर निविदा समय पूर्व समाप्त की जा सकती है।
18. किसी भी परिस्थिति में सेवायें बंद करने पर कम से कम तीन माह पूर्व नोटिस दिया जाना अनिवार्य होगा।
19. निविदा अवधि के पूर्व बिना नोटिस के सेवाएं समाप्त करने के एवज में सुरक्षा राषि राजसात कर ली जावेगी। इसके लिए किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नही किया जावेगा।
20. प्रति दिवस भोजन वितरण के पूर्व वरिष्ठ चिकित्सक अथवा जिम्मेदार कर्मचारी से परिक्षण उपरांत वितरित किया जावेगा, जो रजिस्टर में इंद्राज किया जावेगा।
21. चिकित्सालय प्रषासन द्वारा समय – समय पर कार्य स्थल का निरिक्षण किया जावेगा एवं उनके द्वारा निर्देष का पालन निविदादाता को करना होगा।
22. निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने अथवा स्वीकारने का अधिकार समिति सुरक्षित रखता है, इस बाबत् किसी प्रकार की आवेदन स्वीकार नही किया जावेगा।
23. मरीजो को भोजन देने में किसी भी दिन, किसी भी तरह ही अनियमितता होने पर दो बार नोटिस देने के बाद तीसरी बार मे निविदा रद्द करते हुऐ अमानत राषि राजसात कर ली जावेगी। यदि किसी दिवस मरीजो को भोजन निविदाकर्ता द्वारा उपलब्ध नही कराया जाता है तो अस्पताल प्रबंधन द्वारा मरीजों के लिये भोजन की व्यवस्था करने पर उस दिवस के समस्त व्ययों का भुगतान निविदाकर्ता द्वारा किया जाना होगा।
24. स्वीकृत फर्म के कर्मचारीयों द्वारा चिकित्सकीय स्टाफ, मरीज अथवा मरीज के संबंधितों से व्यवहार कुषल रहना होगा। अभद्र व्यवहार किये जाने वाले कर्मचारी को कार्य से हटा कर बदले में अन्य कर्मचारी रखना होगा।
25. भोजन बनाने एवं वितरित किये जाने वाले बर्तन व ट्राली का व्यवस्था निविदादाता को स्वयं करना होगा।
26. निविदा की अवधि एक वर्ष तक की होगी। निविदा की समय को बढाने के लिये अधोहस्ताक्षर सक्षम होगें।
27. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत देयक का भुगतान षासन द्वारा उपलब्ध कराये गये आबंटन के अनुसार माह में एक बार किया जावेगा ।
28. निविदा प्राप्त संस्थान अपने बैनर या पोस्टर चिकित्सालय परिसर में नही लगा सकेगा।
29. निविदा दाता द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी भी दस्तावेज फर्जी पाये जाने पर संबंधित सस्था के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी तथा उक्त फार्म को काली सूची में ड़ाली जावेगी ।
30. निविदा फार्म दिनांक 01.06.2015 से दिनांक 22.06.2015 तक कार्यालीन समय पर दिया जावेगा एवं दिनांक 23.06.2015 को दोपहर 02.00 बजे जमा लिया जावेगा।यदि किसी निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रपत्र जिले की वेबसाईड से डाउनलोड किया जाता है तो राषि रूपये 200.00 जीवनदीप समिति में जमा कर रसीद सहित निविदा जमा किया जाना होगा।
31. निविदा दिनांक 23.06.2015 को सायं 04.00 बजे जिला चिकित्सालय कोरबा में खोला जावेगा। निविदा खोलने के समय निविदाकार या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

संलग्न :– आहार सारणी 07 पेज।

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला चिकित्सालय कोरबा छ.ग.